



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 फाल्गुन 1947 (श०)
(सं० पटना 216) पटना, सोमवार, 23 फरवरी 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना
23 फरवरी 2026

सं० वि०सं०वि०-01/2026-1017/वि०सं०।—“बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2026”, जो बिहार विधान सभा में दिनांक-23 फरवरी, 2026 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,
ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव।

[वि०स०वि०-02/2026]

बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2026

बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशि की निकासी 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।-

- (1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह 01 अप्रैल 2026 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 353045,15,49,000 (तीन लाख तिरपन हजार पैंतालीस करोड़ पन्द्रह लाख उनचास हजार) रुपये की निकासी।- बिहार राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले अनेक भारों की पूर्ति के लिए अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियों से अनधिक राशियाँ, जो कुल 353045,15,49,000 (तीन लाख तिरपन हजार पैंतालीस करोड़ पन्द्रह लाख उनचास हजार) रुपये तक होंगी, शोधित और उपयोजित की जा सकेंगी।

3. विनियोग।- इस अधिनियम द्वारा जिन राशियों को बिहार राज्य की संचित निधि में से शोधित और उपयोजित करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें 31वीं मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के निमित्त विनियोजित किया जाएगा।

अनुसूची

(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
01	कृषि विभाग	राजस्व	33,26,45,26,000	0	33,26,45,26,000
		पूंजी	1,20,00,00,000	0	1,20,00,00,000
02	डायरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग	राजस्व	16,65,96,78,000	0	16,65,96,78,000
		पूंजी	2,50,00,03,000	0	2,50,00,03,000
03	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	19,05,26,14,000	0	19,05,26,14,000
		पूंजी	42,48,45,60,000	0	42,48,45,60,000
04	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	3,60,00,53,000	0	3,60,00,53,000
		पूंजी	10,50,00,00,000	0	10,50,00,00,000
05	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व	0	60,80,02,000	60,80,02,000
		पूंजी	0	0	0
06	निर्वाचन विभाग	राजस्व	3,23,53,51,000	0	3,23,53,51,000
		पूंजी	0	0	0
07	निगरानी विभाग	राजस्व	63,73,44,000	0	63,73,44,000
		पूंजी	0	0	0
08	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व	1,85,55,18,000	0	1,85,55,18,000
		पूंजी	2,00,00,00,000	0	2,00,00,00,000
09	सहकारिता विभाग	राजस्व	10,75,15,86,000	0	10,75,15,86,000
		पूंजी	1,26,25,30,000	0	1,26,25,30,000
10	ऊर्जा विभाग	राजस्व	1,65,04,98,67,000	0	1,65,04,98,67,000
		पूंजी	22,32,07,00,000	0	22,32,07,00,000

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व	17,49,18,88,000	0	17,49,18,88,000
		पूंजी	25,00,000	0	25,00,000
12	वित्त विभाग	राजस्व	5,26,36,83,000	22,00,15,00,000	27,26,51,83,000
		पूंजी	10,15,00,00,000	0	10,15,00,00,000
13	सूद भुगतान	राजस्व	0	2,53,63,68,47,000	2,53,63,68,47,000
		पूंजी	0	0	0
14	ऋण अदायगियाँ	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	2,26,64,83,46,000	2,26,64,83,46,000
15	पेंशन	राजस्व	3,51,40,33,59,000	30,14,64,000	3,51,70,48,23,000
		पूंजी	0	0	0
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व	1,05,20,50,82,000	0	1,05,20,50,82,000
		पूंजी	4,75,00,00,000	0	4,75,00,00,000
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व	2,76,59,01,000	0	2,76,59,01,000
		पूंजी	0	0	0
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व	10,79,93,54,000	0	10,79,93,54,000
		पूंजी	1,15,25,01,000	0	1,15,25,01,000
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	राजस्व	10,25,39,60,000	0	10,25,39,60,000
		पूंजी	50,00,00,000	0	50,00,00,000
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	1,89,19,40,75,000	0	1,89,19,40,75,000
		पूंजी	23,50,99,98,000	0	23,50,99,98,000
21	शिक्षा विभाग	राजस्व	5,87,98,31,95,000	0	5,87,98,31,95,000
		पूंजी	14,06,29,00,000	0	14,06,29,00,000
22	गृह विभाग	राजस्व	1,87,16,36,70,000	0	1,87,16,36,70,000
		पूंजी	14,16,49,99,000	0	14,16,49,99,000
23	उद्योग विभाग	राजस्व	14,75,06,65,000	0	14,75,06,65,000
		पूंजी	18,62,57,04,000	0	18,62,57,04,000
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व	2,80,13,39,000	0	2,80,13,39,000
		पूंजी	0	0	0
25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	1,40,39,53,000	0	1,40,39,53,000
		पूंजी	1,50,04,00,000	0	1,50,04,00,000
26	श्रम संसाधन एवं प्रवासी कल्याण विभाग	राजस्व	3,71,63,31,000	0	3,71,63,31,000
		पूंजी	0	0	0
27	विधि विभाग	राजस्व	17,36,90,80,000	0	17,36,90,80,000
		पूंजी	0	0	0
28	उच्च न्यायालय	राजस्व	0	3,47,31,88,000	3,47,31,88,000
		पूंजी	0	0	0

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व	78,39,86,000	0	78,39,86,000
		पूंजी	0	0	0
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	3,07,89,32,000	0	3,07,89,32,000
		पूंजी	5,88,32,00,000	0	5,88,32,00,000
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व	9,87,56,000	0	9,87,56,000
		पूंजी	0	0	0
32	विधान मंडल	राजस्व	3,58,30,35,000	2,23,70,000	3,60,54,05,000
		पूंजी	0	0	0
33	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	12,64,71,99,000	7,86,77,000	12,72,58,76,000
		पूंजी	0	0	0
34	बिहार लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	1,25,98,24,000	1,25,98,24,000
		पूंजी	0	0	0
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व	10,02,07,11,000	0	10,02,07,11,000
		पूंजी	15,94,50,00,000	0	15,94,50,00,000
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व	14,69,40,12,000	0	14,69,40,12,000
		पूंजी	9,99,95,00,000	0	9,99,95,00,000
37	ग्रामीण कार्य विभाग	राजस्व	24,48,74,99,000	0	24,48,74,99,000
		पूंजी	88,63,43,00,000	0	88,63,43,00,000
38	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	राजस्व	7,38,74,93,000	0	7,38,74,93,000
		पूंजी	4,00,00,000	0	4,00,00,000
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व	93,69,26,71,000	0	93,69,26,71,000
		पूंजी	30,00,00,000	0	30,00,00,000
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	21,84,89,99,000	0	21,84,89,99,000
		पूंजी	5,25,02,000	0	5,25,02,000
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व	23,90,93,83,000	0	23,90,93,83,000
		पूंजी	58,69,23,00,000	0	58,69,23,00,000
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	2,36,81,17,90,000	0	2,36,81,17,90,000
		पूंजी	20,00,00,000	0	20,00,00,000
43	विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	राजस्व	8,48,57,10,000	0	8,48,57,10,000
		पूंजी	1,55,00,00,000	0	1,55,00,00,000
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व	20,82,66,46,000	0	20,82,66,46,000
		पूंजी	4,00,00,000	0	4,00,00,000
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व	3,40,47,65,000	0	3,40,47,65,000
		पूंजी	0	0	0
46	पर्यटन विभाग	राजस्व	2,23,70,51,000	0	2,23,70,51,000
		पूंजी	4,42,00,00,000	0	4,42,00,00,000

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
47	परिवहन विभाग	राजस्व	3,16,65,12,000	0	3,16,65,12,000
		पूंजी	34,79,00,000	0	34,79,00,000
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व	1,52,11,99,84,000	0	1,52,11,99,84,000
		पूंजी	25,00,00,000	0	25,00,00,000
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व	22,91,17,01,000	0	22,91,17,01,000
		पूंजी	48,36,18,00,000	0	48,36,18,00,000
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व	3,73,52,79,000	0	3,73,52,79,000
		पूंजी	9,77,67,00,000	0	9,77,67,00,000
51	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	82,43,20,78,000	0	82,43,20,78,000
		पूंजी	2,26,85,61,000	0	2,26,85,61,000
52	खेल विभाग	राजस्व	2,40,75,21,000	0	2,40,75,21,000
		पूंजी	0	0	0
53	युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	राजस्व	13,44,55,70,000	0	13,44,55,70,000
		पूंजी	35,02,00,000	0	35,02,00,000
54	उच्च शिक्षा विभाग	राजस्व	75,08,33,24,000	0	75,08,33,24,000
		पूंजी	5,04,01,00,000	0	5,04,01,00,000
55	सविल विमानन विभाग	राजस्व	98,47,94,000	0	98,47,94,000
		पूंजी	6,00,00,00,000	0	6,00,00,00,000
योग राजस्व			26,05,95,74,73,000	2,81,38,18,72,000	28,87,33,93,45,000
योग पूंजी			4,16,46,38,58,000	2,26,64,83,46,000	6,43,11,22,04,000
महायोग			30,22,42,13,31,000	5,08,03,02,18,000	35,30,45,15,49,000

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव।

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य की संचित निधि से कोई राशि भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जाएगी, अन्यथा नहीं। विधि में यह व्यवस्था है कि

(क) विधान सभा द्वारा पारित किये गये अनुदानों, और

(ख) राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित कुल राशि राज्य की संचित निधि में से विनियोजित की जाएगी।

वर्तमान विधेयक का उद्देश्य है कि राज्य की संचित निधि में से कुल 353045,15,49,000 (तीन लाख तिरपन हजार पैंतालीस करोड़ पन्द्रह लाख उनचास हजार) रुपये, शोधन और विनियोग प्राधिकृत किया जाय, ताकि 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में शोधन के दौरान आने वाले भारों की पूर्ति की जा सके।

(बिजेन्द्र प्रसाद यादव)

भार-साधक सदस्य।

पटना
दिनांक 23.02.2026

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 216-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>